


## आवश्यक सूचना

विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा द्वारा बी०डी०पी०ओ० के लगभग 52 रिक्त पद पुर्ननियुक्ति के आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों के दृष्टिगत सेवानिवृति बी०डी०पी०ओ०/डी०डी०पी०ओ०/डिप्टी सी०ई०ओ० में से भरना प्रस्तावित है। इच्छुक सेवानिवृत अधिकारी, जिनकी आयु 63 वर्ष के कम है तथा उनके विरुद्ध कोई विभागीय/अपराधिक इत्यादि मामला लम्बित नहीं है, बी०डी०पी०ओ० के पद पर पुर्ननियुक्ति हेतु अपना अनुरोध पत्र पूर्ण विवरण सहित सरकार को 15 दिन के अन्दर-2 भिजवा सकते हैं।

दिनांक 07.12.2021



अवर सचिव, विकास

कृते अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार  
विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।

